

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, dated : 30.06.2010

No. E(G) 2010 HO 1/11

The General Managers
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per standard mailing list)

Sub : Grant of honorarium to the Railway Officers/Staff for setting of question papers & evaluation of answer sheets for Limited Departmental Competitive Examination held for promotion from Group 'C' to Group 'B'.

Reference Board's letters No. E(G)2001/HO 1-7 dated 3-3-2009 and 29-12-2009 on the above subject enhancing the rates of honorarium payable to Railway officers/staff for setting of question paper and evaluation of answer sheets of Limited Departmental Competitive Examination held for promotion from Group 'C' to Group 'B'.

2. Doubts have been raised by some of the Railways regarding the honorarium to be paid to the officers who fail to meet the conditions stipulated in Board's letter dated 3-3-2009 and 29-12-2009 ibid of submitting the evaluated answer sheets within one month, if the number of answer sheets are upto 250, and within two months, if the answer sheets exceed 250.

3. The matter has been examined by the Board, and it is clarified that the officers who fail to meet the conditions mentioned above may be paid honorarium at the earlier rate of Rs. 12/- per answer sheet.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. This also disposes of Western Railway's letter No. E(G) 1024/0 (Vol. VII) dated 9-3-2010.

Please acknowledge receipt.

(Madan Lal)

Jt. Director, Estt. (Genl.)
Railway Board

No. E(G) 2010 HO 1-11

New Delhi, dated 30.06.2010

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

for FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)2010 एचओ 1/11

नई दिल्ली, दिनांक: 30.06.2010

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करना।

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के 03.03.2009 एवं 29.12.2009 के पत्र सं. ई(जी)2001/एचओ 1-7 देखें जो ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र तैयार करने और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की दरों को बढ़ाने के संबंध में है।

वे अधिकारी जो मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को यदि इन उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 250 हो तो एक माह के भीतर और यदि इन उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 250 से अधिक हो तो दो माह के भीतर प्रस्तुत करने में बोर्ड के दिनांक 03.03.2009 और 29.12.2009 में नियत शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भुगतान किए जाने वाले मानदेय के बारे में कुछ रेलों ने शंका व्यक्त की है।

बोर्ड द्वारा मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि जो अधिकारी उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें प्रति उत्तर पुस्तिका 12/- रुपये की पूर्ववर्ती दर पर ही मानदेय का भुगतान किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

इससे पश्चिम रेल के 09.03.2010 के पत्र सं. ई(जी)1024/0 (वॉल्यूम-VII) का निपटारा हो जाता है।

कृपया पात्रती दें।

मदन लाल
(मदन लाल)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (सामान्य)
रेलवे बोर्ड